

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ ()तक/उवसं/2017-18/ 1082

दिनांक : 07.03.2018

निमित्त :

परियोजना निदेशक (पी0पी0पी0),
लोक निर्माण विभाग,
जयपुर राजस्थान

विषय : **Diversion of 74.598 ha. Foret land for dvelopment of Tarnau-didwana-laxmangarh-mukundgarh road section of SH-60 from km 39.668 to km 205.300 district Nagaur (Raj.)**

संदर्भ : पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 687 दिनांक 13.12.2017 एवं इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 220 दिनांक 11.01.2018

महोदय,

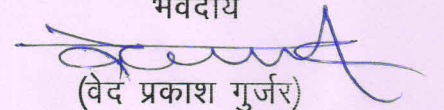
विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्र 220 दिनांक 11.01.2018 द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु धनराशि की गणना सहवन से 33 है. वन क्षेत्र के स्थान पर 33.3 है. वन क्षेत्र लिखा गया था। अतः सन्दर्भित डिमाण्ड नोट को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. बिन्दु संख्या 11 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में इस वन मण्डल में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप उल्लंघन में प्रभावित वन क्षेत्र 3.30 है. के 10 गुने अर्थात् 33 है. अवनत वनभूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 42,57,000रु.(बयालीस लाख सतावन हजार रुपये मात्र) राशि संलग्न प्राकल्लन अनुसार जमा करावे।

उक्त बिन्दु की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1, लोधी रोड़, नई दिल्ली-11003 के तदर्थ लेखा वैबपोर्टल **OSMFWP** पर सृजित ई-चालान के माध्यम से जमा करवाकर जमा राशि की पावती की प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी./क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया हो) भिजवावे।

उक्त बिन्दु की पालना सैद्धांतिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावे ताकि आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय



(वेद प्रकाश गुर्जर)

उप वन संरक्षक,

नागौर

दिनांक : 07.03.2018

क्रमांक : सम/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(FCA) राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

(वेद प्रकाश गुर्जर)

उप वन संरक्षक,

नागौर